न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 14/2022

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पिण्डवाडा जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री नीमाराम पुत्र श्री चतरा जाति भील के कायम मुकाम–
   1.1 श्री भंवर पुत्र स्व. श्री नीमाराम जाति भील निवासी फुलाबाईखेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   1.2 श्री अनाराम पुत्र स्व. श्री नीमाराम जाति भील निवासी फुलाबाईखेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   1.3 सुश्री बबली पुत्री स्व. श्री नीमाराम जाति भील निवासी फुलाबाईखेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री लक्ष्मण पुत्र श्री चतरा जाति भील निवासी फुलाबाई खेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री लालाराम पुत्र श्री चतरा जाति भील के कायम मुकाम–
   3.1 श्री भेराराम पुत्र स्व. श्री लालाराम जाति भील निवासी फुलाबाई खेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   3.2 सुश्री लक्ष्मी पुत्री स्व. श्री लालाराम जाति भील निवासी फुलाबाई खेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   3.3 सुश्री पूजा पुत्री स्व. श्री लालाराम जाति भील निवासी फुलाबाई खेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   3.4 सुश्री अम्बा पुत्री स्व. श्री लालाराम जाति भील निवासी फुलाबाई खेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
   3.5 श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नि स्व. श्री लालाराम जाति भील निवासी फुलाबाई खेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. सुश्री बदकी पुत्री श्री चतरा जाति भील निवासी फुलाबाई खेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अप्रार्थी अधिवक्ता।

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:39:23 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 08.11.2024

जिला कलेक्टर, सिरोही

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्व पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा फुलाबाई खेडा पटवार मण्डल काछौली, तह. पिण्डवाडा

Scanned with CamScanner

जिला सिरोही के खसरा नं. 515 नया खसरा संख्या 515/648 रकबा 3.00 बीघा किस्म बारानी–1 भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 31.08.1978 द्वारा अप्रार्थीगण के पिता श्री चतरा पुत्र श्री काना जाति भील को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 23.09.1978 को तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा श्री चतरा पुत्र श्री काना जाति भील के नाम दर्ज की गई, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया। श्री चतरा पुत्र श्री काना जाति भील की फौत हो जाने से उनके वारिसानों को प्रकरण में पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 1.1 से 1.3, दो, 3.5 व चार की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 3.1 से 3.4 की ओर से इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिली के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 515 नया खसरा संख्या 515/648 रकबा 3.00 बीघा किस्म बारानी–1 भूमि का आवंटन श्री चतरा पुत्र श्री काना जाति भील को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है। श्री चतरा पुत्र श्री काना जाति भील की फौत हो जाने से उनके वारिसानों को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का आवंटन से लेकर आज तक कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री चतरा पुत्र श्री काना जाति भील काबिज रहे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात खसरा संख्या 515/648 के राजस्व आराजी में नियमानुसार अप्रार्थी संख्या एक से चार के नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ। यह है कि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी को आवंटन हुई थी एवं आवंटन के समय से ही अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी एवं अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं उक्त आवंटन किए हुए 38 वर्षों की अवधि गुजर [illegible] है [illegible] अप्रार्थीगण आवटंन के समय से ही मौके पर काबिज होकर प्रार्थी की देखरेख में काश्त करता [illegible] एवं मौके पर काबिज है। प्रार्थी द्वारा गलत रिपोर्ट बना कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया [illegible] खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि वादग्रस्त कृषि भूमि में रबी [illegible] लगातार अप्रार्थीगण की ओर से बोई जा रही है, जिसकी ताईद में संवत 2070 से संवत 2073 [illegible] खसरा गिरदावरी साथ संलग्न है। इस प्रकार उक्त भूमि पर लगातार आज भी अप्रार्थीगण की काश्त मौके पर खडी है, इसके उपरान्त भी पटवारी हल्का ने गलत रूप से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:39:23 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि अप्रार्थीगण का कब्जा लगातार मौके पर काबिज है, लेकिन प्रार्थी ने कानूनन अभी तक अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण जानबूझकर दर्ज नहीं किया है, जो भी आवंटन के दस वर्ष पश्चात कानूनन अप्रार्थीगण अपने नाम करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा आधारहीन तथ्यों पर बदनियती से उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि कृषि भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा आदेश क्रमांक/एफ/78/1296–1302 दिनांक 31.08.1978 द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री चतरा पुत्र श्री काना जाति भील को मौजा फुलाबाई खेडा पटवार हल्का काछौली, तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 515 नया खसरा संख्या 515/648 रकबा 3.00 बीघा किस्म बारानी–1 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है, जिसकी पालना में आंवटित भूमि का कब्जा सुपूर्द किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 111 दिनांक 23.09.1978 के द्वारा आवंटित भूमि राजस्व रेकर्ड में आंवटी श्री चतरा पुत्र श्री काना जाति भील के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज की गई।

प्रार्थी पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं किया है एवं आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है। जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आंवटित भूमि पर अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्व रसाधिकारियों का कब्जा काश्त आंवटन के समय से चला आ रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर लगातार काश्त की जा रही है एवं मौके पर आज भी काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से आवंटन शर्तों का उल्लघंन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संवत 2070 से 2073 में उक्त आंवटित भूमि पर काश्त होना दर्ज है और उक्त खसरा गिरदावरी में अप्रार्थीगण द्वारा संवत 2070 से 2073 में क्रमशः अरण्डी, गेहूं, मक्की की फसल बोने का अंकन किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है एवं उनके द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर फसल भी बोई जा रही है। प्रार्थी पक्ष के द्वारा भी ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया हो, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी में उक्त आवंटित भूमि पर काश्त होना दर्ज है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा उक्त वादग्रस्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण के द्वारा किए जा रहे काश्त की जांच किए बिना केवल मात्र पटवारी हल्का काछौली द्वारा तैयार की गई मौका फर्द दिनांक 20.06.2016 के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में विधिक दृष्टांत RRT 2001(2) Page [illegible] में माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर ने यह प्रतिपादित किया है कि 30 वर्ष पूर्व भूमि आंवटित हुई, दस वर्ष बाद आवंटित खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है, 30 वर्ष बाद आंवटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। विधिक दृष्टांत RRT 2001(2) Page 1219 में माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर ने यह प्रतिपादित किया है कि 16 वर्षों के बाद आवंटन का निरस्त करना एवं

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:39:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आवंटी को आवंटित भूमि से बेदखल करना न्याय के साथ कुठारघात होगा। इसी प्रकार विधिक दृष्टांत RRT 2014(2) Page 1150, RRT 2016(1) Page 82, RRT 2019(2) Page 838 एवं RRT 2021(2) Page 1029 में भी माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर द्वारा काफी वर्षों के बाद आवंटन को निरस्त करना न्यायोचित नहीं माना है।

चूंकि विचारणीय प्रकरण में भी प्रश्नगत भूमि का आवंटन हुए लगभग 45 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इस प्रकार, अप्रार्थीगण के प्रश्नगत भूमि पर अधिकारों को समाप्त करने में पर्याप्त विलम्ब हो चुका है। ऐसी स्थिति में, उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:39:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner